U.P. Police & Armed Forces Sahayata Sansthan
उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी आश्रितो को दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान

वीरगति को प्राप्त मामलों

शहीद कर्मी को 10,00,000 की सहायता राशि का वितरण:

1 माता/पिता जीवित:

- 4,00,000/- पत्नी को चेक द्वारा।
- 3,00,000/- माता/पिता को चेक द्वारा।
- 3,00,000/- पत्नी के नाम तीन वर्ष की फिक्स्ड डिपॉजिट।

2. माता/पिता जीवित नहीं:

- 7,00,000/- पत्नी को चेक द्वारा।
- 3,00,000/- पत्नी के नाम तीन वर्ष की फिक्स्डडिपॉजिट।

3. कर्मी अविवाहित:

-10,00,000/- चेक द्वारा उत्तराधिकारियों को।

स्थाई रूप से अपंग घोषित (अपंगता के आधार पर सेवा पूर्ण होने के पूर्व सेवानिवृत्त घोषित होने पर)

स्वीकृति के उपरान्त सैनिक के एकाउन्ट में धनराशि ट्रान्सफर की जाती हैं।

(6,00,000 लाख)

आवेदन का तरीका

आवेदनकर्ता द्वारा अपने जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय से संपर्क कर आवेदन किया जाता है

↓

जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय द्वारा सेना /नौ सेना /वायु सेना के कमीशण्ड आफिसर के मामलों मे आर्मी(MP-5)/ एयरफोर्स (AirHQ)/ नेवी (Naval HQ) व जूनियर कमीशण्ड आफिसर, एवं अन्य श्रेणी के मामलों मे रिकॉर्ड ऑफिस को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है

↓

ऑफिसर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सत्यापन के उपरांत आवेदन पत्र मुख्यालय सेंट्रल कमांड लखनऊ की ए ब्रांच को प्रेषित किया जाता है

↓

मुख्यालय सेंट्रल कमांड लखनऊ द्वारा संसुति के उपरांत आवेदन पत्र उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान को प्रेषित किया जाता है

↓

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान स्वीकृति के बाद धनराशि शहीद आश्रित /अपंग के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं

<u>उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान</u>

संस्थान का उद्देश्य भारत-चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्सरजेन्सी/आतंकवाद की घटनाओं/आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में ''पवन'' आपरेशन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैवी-आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं तथा अग्नि-काण्ड के समय एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु व उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों(Operations) में सक्रिय ड्यिूटी के दौरान मृत्यु/स्थाई रूप से अपंग घोषित (अपंगता के आधार पर सेवा पूर्ण होने के पूर्व सेवानिवृत्त घोषित होने पर) सैन्य बल/अर्द्ध सैनिक बल (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (C.R.P.F.), सीमा सुरक्षा बल (B.S.F.), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (I.T.B.P.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (C.I.S.F.), सशस्त्र सीमा बल (S.S.B.), विशेष सुरक्षा दल (S.P.G.), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (N.S.G.), रेलवे सुरक्षा बल (R.P.F.) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन बल (N.D.R.F.) के कर्मियों एवं उनके आश्रितों को, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा पुलिस/ पी०ए०सी० एवं विशेष पुलिस बल में कार्यरत कर्मियों एवं उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान, बच्चों को वार्षिक शिक्षा अनुदान एवं लडकी की शादी हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त वर्णित घटनाओं में सक्रिय ड्यिूटी के दौरान दुर्घटनावश हुई मृत्यु /स्थाई रूप से अपंग घोषित (अपंगता के आधार पर सेवा पूर्ण होने के पूर्व सेवानिवृत्त घोषित होने पर) उपरोक्त बलों के कर्मियों के मामलों में सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय दिनांक 13 नवम्बर, 2009 से लिया गया है। जिसका विवरण संक्षेप में निम्नवत् है।

(क)	ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटनावश मृत्यु व (यथा-सीमा पर अभियान हेतु आने-जाने के दौरान दुर्घटनावश गाड़ी पलट जाने पर/लड जाने पर अथवा

	किसी चीज से टकरा जाने पर,सांप काट लेने पर,हृदयगति रूक जाने के कारण ऑधी-तूफान से टेन्ट गिरने के कारण,नदी-नाला पार करते समय उसमें गिरने के कारण एवं आदि प्रकार की दुर्घटनाओं में)।
(ख)	किसी अभियान के दौरान वायुयान/हेलीकाप्टर के क्रैश हो जाने के कारण दुर्घटनावश हुई मृत्यु ।
(ग)	अपराधी को पकड़कर गाड़ी से ले जाते समय किसी कारणवश दुर्घटनावश हुई मृत्यु।

2. प्रबन्ध समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि स्वीकृति/भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मृत्यु या स्थायी अपंगता अभियान(Operation) के दौरान ड्यूटी का निर्वहन करते हुये हुई है।

3. <u>लाभभोगी एवं आश्रित</u>

संस्थान द्वारा उपरोक्त बलों के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों, यथा पति/पत्नी/माता/पिता/बच्चे/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे तथा मॉ-बाप के न होने की दशा में दादा-दादी/नाना-नानी, जो लाभभोगियों पर पूर्णतया आश्रित हो, को संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

4. <u>संचालित योजनाएं</u>

उपरोक्त वर्णित घटनाओं/परिस्थितियों मे सैन्यबल/पुलिस/पी0ए0सी0/अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों को वीरगति प्राप्त होने पर अथवा स्थायी रूप से अपंग घोषित (अपंगता के आधार पर सेवा पूर्ण होने के पूर्व सेवानिवृत्त घोषित होने पर) एकमुश्त अनुदान प्रदान करना।

<u>संस्थान द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता की दरें निम्नवत् है :</u>

	(क)अनुग्रह अनुदान	
	1. वीरगति को प्राप्त मामलों में	
	दि० 19.07.13 से 3.10.18 तक के मामलों में)	दि० 04-10-18 व उसके बाद के मामलों में))
कमीशण्ड आफिसर	6,00,000/-	10,00,000/-
जूनियर कमीशण्ड आफिसर	6,00,000/-	10,00,000/-
अन्य श्रेणी	6,00,000/-	10,00,000/-

<u>नोट-:</u>

अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि 10,00,000/- में से 4,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को नकद भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा और 3,00,000/- शहीद कर्मी के माता/पिता को नकद भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा तथा शेष धनराशि 3,00,000/- की फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा।

यदि शहीद कर्मी के माता/पिता जीवित नहीं हैं, तो धनराशि 7,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को नकद भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा तथा शेष धनराशि 3,00,000/- की फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये

आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा। यदि कर्मी अविवाहित हैं तो धनराशि 10,00,000/- का नकद भुगतान चेक द्वारा उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

दिनांक 04-10-2018 से व उसके बाद के वीरगति को प्राप्त मामलों में निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी। तद्-नुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाए।

	2-स्थाई रूप से अपंग घोषित मामलों में	
	दि० 19-07-13 से 03-10-18 तक के मामलों में)	दि० 04-10-18 व उसके बाद के मामलों में))
कमीशण्ड आफिसर	3,00,000/-	6,00,000/-
जूनियर कमीशण्ड आफिसर	3,00,000/-	6,00,000/-
अन्य श्रेणी	3,00,000/-	6,00,000/-

(ख) लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिनकी शादी के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु हो।)		
	दि० 19.07.13 को पुनरीक्षित दर	दि० 04-10-18 से पुनरीक्षित दर
संस्थान द्धारा लड़कियो के शादी हेतु सहायता केवल हवलदार रैंक तक प्रदान किया जाता था। इसे बढ़ाकरसैन्यबल/पुलिस/पी0ए0सी0/विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के	1,50,000/-	2,00,000/-

जूनियर कमीशण्ड आफिसर अथवा इन्सपेक्टर रैंक तक के मामलों में प्रदान किये जाने का निर्णय संस्थान की प्रबन्ध समिति द्धारा दिनांक 07-07-2010 से लिया गया है।		

शादी हेतु केवल वो ही प्रार्थना-पत्र भेजे जायें जिनमें शादी की तिथि 04-10-2018 या उसके पश्चात की हो। इन मामलों में केवल दिनांक 04-10-2018 से लागू दरों पर ही भुगतान किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का नकद भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा। यह सहायता जूनियर कमीशण्ड आफिसर अथवा इंस्पेक्टर रैंक तक एवं समतुल्य् रैंक्स तक के मामलों में ही अनुमन्य है ।

(ग) <u>वार्षिक शिक्षा सहायता हेतु अनुदान:-</u>

<u>वार्षिक शिक्षा अनुदान दिये जाने के नियम - :</u>

1. इन नियमों को "वार्षिक शिक्षा अनुदान" कहा जाएगा। यह सामान्य शिक्षा और प्राविधिक, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण आदि के लिए पेज-1 के क्रमांक-1 में दर्शाई परिस्थितियों में मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग घोषित उक्त श्रेणी के सैन्यबल/पुलिस/पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिक बल के हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक्स तक के मामलों में ही अनुमन्य है।

2-<u>परिभाषएं</u>

(क)आश्रित -

आश्रित से तात्पर्य उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों के बच्चे, भाई/बहन/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे (जो उन पर पूर्णतया आश्रित हो) सामान्य शिक्षा हेतु जिनकी आयु 22 वर्ष तक हो एवं प्राविधिक शिक्षा, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रम हेतु उनकी आयु अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिये।

(ख) **<u>संस्थान</u>**

संस्थान से अभिप्राय भारतीय संघ के अन्तर्गत (औद्योगिक संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये) सामान्य शिक्षा, प्राविधिक, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या

कृषि पाठ्यक्रम के लिये राज्य सरकार या केन्द्र शासित या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था से है।

<u>संस्थान के प्रधान</u>

संस्थान के प्रधान से अभिप्राय संस्था के प्रशासनिक प्रधान से है। उदाहरण के लिये उपकुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, निदेशक, प्रधानाचार्य, हेड मास्टर, प्रधान अध्यापिका इसमें सम्मिलित होंगे।

3-(ए) <u>प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की विधि :-</u>

वार्षिक शिक्षा अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र मुफ्त में (बिना कोई भुगतान किये) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों/सैनिक अभिलेख अधिकारियों से प्राप्त किये जा सकते है। पुलिस/ पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिक बल के मामलों में प्रार्थना-पत्र संबंधित महानिदेशक के कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते है।

4-(ए) <u>वार्षिक शिक्षा अनुदान हेतु प्रार्थना :-</u>

प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक संलग्नकों सहित उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान, कक्ष संख्या-55, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय में 31 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष सैन्यबल के मामलों में जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी/संबंधित अभिलेख कार्यालय की संस्तुति सहित मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ के माध्यम से पहुॅच जाने चाहिये। पुलिस/पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिक बल के मामलों में प्रार्थना-पत्र संबंधित महानिदेशक के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित उपरोक्त तिथि तक पहुॅच जाने चाहिये।

4-(बी)

जहॉ शिक्षा सत्र विद्यार्थियों के आन्दोलन या अन्य किसी कारणवश देर से शुरू हो, उन मामलों में सचिव, संस्थान प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर के पश्चात् भी शिथिलता प्रदान कर सकते हैं। जिन मामलों में पोस्टल डिले अथवा अन्य किसी न्यायसंगत कारणवश प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत किये गये हो, उन मामलों में भी सचिव निर्धारित तिथि में शिथिलता प्रदान कर सकते है।प्रार्थना-पत्र में सभी प्रविष्टियाँ साफ एवं सही ढंग से भरी जानी चाहिए । प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र के समस्त भागो को प्रमाडीत करके अपनी मोहर देनी चाहिए

6- वार्षिक शिक्षा सहायता अनुदान हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये नये प्रार्थना-पत्र चाहे नया मामला हो अथवा नवीनीकरण का ।

7- एकबार स्वीकृत की गयी सहायता केवल उसी वर्ष के लिये मान्य होगी।

8- **<u>वार्षिक शिक्षा सहायता हेतु अर्हताएं</u> :-**

वार्षिक शिक्षा सहायता अनुदान केवल उन्हीं मामलों में प्रदान किया जायेगा, जिन्होंने कम से कम नीचे दिये गये प्रतिशतों के अन्तर्गत अपने अन्तिम वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किये हो:-

(ए) सामान्य शिक्षा-

1- हाईस्कूल की कक्षाओं के लिये	48%	अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिए।
2- इण्टरमीडिएट की कक्षाओं के लिये	50%	- तदैव -
3- स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसेबी0एस0सी0/बी0ए0/बी0कॉम0/एम0 एस0सी0/एम0ए0/एम0कॉम0/एल0एल0 बी0/एल0एल0एम0/एम0एस0डब्लूबी/0एड 0/एम0एड0/एल0टी0	48%	- तदैव -
4- पी0एच0डी0 (शोध कार्य), एल0एल0डी0 तथा एम0फिल0	60%	- तदैव -

(<u>बी</u>) प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा-

1 – प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	50%	अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिए।
2- डिप्लोमा	50%	- तदैव -
3- डिग्री पाठ्यक्रम	50%	- तदैव -

नोट -:

उन विद्यार्थियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जायेगी जो निजी संस्थानों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण ले रहे हो ।

9- वार्षिक शिक्षा अनुदान की दरें :-

सामान्य शिक्षा दरें विभिन्न कक्षाओं /पाठ्यक्रमों के लिये निम्नानुसार है-

Sr. No.	वर्तमान कक्षापाठ्यक्रम/	दि0 29-01-2019 से वार्षिक पुनरीक्षित दरें
1.	9 से 10 तक	9,000/-
2.	11 से 12 तक	9,000/-
3.	बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0/बी0टी0सी0/बी0एड0/एल0टी0/ एल0एल0बी0	15,000/-
4	एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस0सी0/एल0एल0एम0/एम0एस0डब्लू0/ एम0एड0	18,000/-
5	पी0एच0डी0/एल0एल0डी0 तथा एम0फिल0	75,000/-

10- प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा :-

1	आई0टी0आई0/सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम (जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल या उसके या उसके समकक्ष हों)	15,000/-
2.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल या उसके या उसके समकक्ष हों)	18,000/-
3.	डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे - बी0सी0ए0/बी0बी0ए0/बी0डी0एस0/बी0यू0एम0एस0/ बी0ए0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0	30,000/-
4.	बी0टेक0/एम0टेक0/एम0बी0बी0एस0/एम0सी0ए0/एम0बी0ए0	48,000/-

11. शोध कार्य के लिये वार्षिक शिक्षा अनुदान 75,000/- वार्षिक की दर से भुगतान किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि लाभार्थी को कोई वार्षिक शिक्षा सहायता किसी अन्य स्रोत जैसेयू-0जी0सी0 से न मिलता हो। इस पाठ्यक्रम के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जाँच करके प्रबन्ध समिति द्वारा इस संबंध में विचार किया जायेगा। इस संबंध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

12. यदि विद्यार्थी को फीस में कोई छूट आर्थिक सहायता/शिक्षा सहायता/स्कालरशिप के रुप में किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त हो रही हो तो संस्थान से वार्षिक शिक्षा अनुदान जिसका वह पात्र होगा, उसे प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक कम करते हुये भुगतान किया जायेगा। वार्षिक शिक्षा अनुदान की स्वीकृति संबंधित छात्र के आचरण एंव प्रगाति, संस्था के प्रधान द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर ही निर्भर होगी।

13. **वार्षिक शिक्षा अनुदान का भुगतान** :-

वार्षिक शिक्षा अनुदान का भुगतान संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पी0ए0सी एवं अर्द्ध सैनिकबल के महानिदेशक को एकमुश्त चेक द्वारा किया जायेगा। जिसे वे चेक प्राप्ति के एक माह के भीतर संबंधित मामले में भुगतान कर देंगे। इस संबंध में धनराशि प्राप्तकर्ता से स्टाम्पयुक्त रसीद की प्रति अभिलेख ,कार्यालय/महानिदेशक कार्यालय में आडिट हेतु रख ली जाएगी, परन्तु धनराशि के वास्तविक वितरण की प्राप्तकर्ता से स्टाम्पयुक्त रसीद व उपयोग प्रमाण-पत्र भुगतान करने के पश्चात् तुरन्त संस्थान के कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाना चहियें।

14. **अमान्यता (Inadmissibility)** :-

(ए) यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसे उच्च दर से देय वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जायेगा।

(बी) यदि संस्था का प्रधान यह अनुभव करता है कि विद्यार्थी को वार्षिक शिक्षा अनुदान उसे दुर्व्यवहार या अध्ययन के प्रति पूर्ण उदासीनता अथवा किसी अन्य कारणों के कारण नहीं भुगतान किया जाना चाहिये तो उसे इस संबंध में तुरन्त संबंधित अभिलेख कार्यालय/पुलिस/पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिकबल के महानिदेशक को सूचित करना चाहिये। उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पी0ए0सी0 एवं अर्द्ध सैनिकबल महानिदेशक को भेजी गयी वार्षिक शिक्षा अनुदान की धनराशि संस्थान के नाम चेक बनाकर तुरन्त वापस लौटा देंगे।

(सी) वार्षिक शिक्षा अनुदान को अधिकार के तौर पर नहीं मॉगा जा सकता यह केवल संस्थान के नियमों के अन्तर्गत ही देय है। वार्षिक शिक्षा अनुदान का मूल उद्देश्य लाभभोगियों को शिक्षा प्राप्ति/प्रशिक्षण के प्रोत्साहन हेतु आय के स्रोतों को अनुपूरित करना है।

(डी) जिन लाभभोगियों के बच्चों को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा शुल्क की छूट विषयक कोई कार्ड/प्रमाण-पत्र जारी करके शिक्षा शुल्क, पुस्तक एवं हास्टल आदि की पूरी सहायता दी जाती है, उन्हें संस्थान से शैक्षिक सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार शिक्षा संबंधी सारे व्यय को पूरा करती हैं।

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान,
कक्ष संख्या–55, नवीन भवन,उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ–226001
अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम ....

2. शहीद कर्मी के माता एवं पिता का नाम ....
....
(दिनांक 19 जुलाई 2013 से निर्धारित की गयी प्रकिया के अनुसार)

3. आवेदन के दिनांक को आयु ....

4. पूरा पता(स्थायी)..
....

5. आश्रितों की संख्या .... कमाक नाम सम्बन्ध आयु
   1. ....
   2. ....
   3. ....

6. प्रार्थी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध ....

7. कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम...
....

8. कैज्युअल्टी का दिनांक तथा स्थान ....
....

   अ. प्रकृति(मृत्यु / स्थायी अपंगता) ....

   ब स्थायी अपंगता का प्रतिशत(प्रमाण पत्र सहित)..

   स अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने की तिथि..

9. संरक्षक का नाम व पूरा स्थायी पता ....

अ. व्यवसाय का विवरण, यदि कोई हो..
ब मासिक आय ....

10. प्रार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का पूर्ण विवरण..

11. क्या प्रार्थी को इससे पूर्व भी संस्थान या अन्य स्रोतो से कोई सहायता प्राप्त हुई है? यदि हॉ तो धनराशि दिनांक सहायता का उद्देश्य सूचित करें ....
....

12. आवेदित सहायता धनराशि रू0 ....

दिनांक : प्रार्थी के हस्ताक्षर

संस्तुतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेतु
(अभिलेख अधिकारी / महानिदेशक, पुलिस / पीए0सी0 / अर्द्ध सैनिक बल)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..आश्रित................

....नम्बर..............................रैंक...........................यूनिट का नाम..........

..................................का आवेदन पत्र प्रथम बार संस्थान को रू0 ....

(शब्दों में रूपये..) मात्र कीसहायता हेतु संस्तुति सहित भेजा जा रहा है।

दिनांक अग्रसारण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मुहर